न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 469/2013–14

मो0 गोनौर बनाम श्रीमति शांति देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अनुशीलन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। वस्तुतः विवाद के अन्तर्गत मौजा– पड़री थाना–सदर दरभंगा अन्तर्गत खाता नं0–60 खेसरा नं0–426 की 11 कट्ठा भूमि है जिसके उत्तर बांध दक्षिण हैदर वो माजीद पूरब–अनीस मास्टर एवं पश्चिम राकेश झा है। आवेदक मो0 गोनौर पिता–स्व0 अब्दुल ग्राम–पड़री थाना सदर दरभंगा के अनुसार उक्त भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान इनके पिता स्व0 अब्दुल के नाम दर्ज है जिसे न तो इनके पूर्वज ने और नही इन्होंने बिक्री किया है और विपक्षी इनके शांतिपूर्ण दखल कब्जे वाली भूमि को जबरदस्ती दखल कब्जा करना चाहती है तथा कहती है कि इसे केवाला द्वारा खरीद किए है जिसे छोड़ दिजीए नहीं तो जबरदस्ती दखल कर लेगें। विपक्षी श्रीमती शांति देवी जौजे–जगरनाथ प्रसाद मुहल्ला–लक्ष्मीसागर साधुगाछी, का दावा है कि इन्होंने प्रश्नगत भूमि को मनीनाथ झा पिता–स्व0 बाबु उमाकान्त झा मुहल्ला–लक्ष्मीसागर साधुगाछी, से केवाला कराया है और शांतिपूर्ण जोत आवाद में चली आ रही है। सुनने से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि मनीनाथ झा ने दस्तावेज सं0–16570 दिनांक–11.07.1974 द्वारा मो0 हसन वगैरह से हासिल किया था और दखल कब्जे में थे तथा अपने उक्त दस्तावेजी भूमि को विपक्षी को दिनांक–22.04.1983 को बयनामा किया तथा दखल कब्जा सौंप दिया जिस आधार पर विपक्षी के नाम जमाबंदी सं0– 485 चलती है एवं विपक्षी राजस्व भुगतान कर रसीद प्राप्त करती है। इस प्रकार आवेदक का दावा कैडेस्ट्रल खतियान के आधार पर तथा विपक्षी का दावा दस्तावेज के आधार पर होना विदित होता है जिसमें विपक्षी का दावा सत्य प्रमाणित होता है एवं स्पष्ट होता है कि आवेदक के पूर्वज ने प्रश्नगत भूमि को पूर्व में बयनामा कर दिया है विपक्षी ने	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	केवाला दर केवाला से हासिल किया है जिसकी जमावंदी विपक्षी के नाम चलती है एवं विपक्षी शांतिपूर्ण दखल कब्जे में केवाला वर्ष 1983 से अब तक है, विपक्षी का कब्जा बलात कब्जा नहीं बल्कि दस्तावेज के आधार पर है जो सत्य है। अतः आवेदक का वाद पत्र निराधार एवं बेबुनियाद करार देते हुए खारिज किया जाता है। अभिलेख संचिकास्त करें। **लेखापित एवं शुद्धित** 12/08/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 12/08/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	